

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9537

दिनांक - 08.12.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र वागाराम वगैराह  
जाति जाट निवासी सूर सागर,  
कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।

1. कंवराराम पुत्र वीरमाराम वगैराह जातियान जाट  
निवासी सूरसागर, कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 534/2025

दिनांक-26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सूर सागर पटवार हल्का कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 591 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 592 रकबा 28.1013 हैक्टेयर व खसरा संख्या 661/581 रकबा 8.5793 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9538-41

दिनांक- 08.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुडला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण रूपाराम पुत्र वागाराम वगैराह जाति जाट निवासी सूर सागर, कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कंवराराम पुत्र वीरमाराम वगैराह जातियान जाट निवासी सूरसागर, कुडला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

